



न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा-पत्र

उनवान..... बनाव.....

किस्म मुकदमा..... अकील संख्या.....

अभिभाषक अपीलान्त..... अभिभाषक रेस्पोंडेंट.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
५/१/२५	<p>पत्रावली पेश हुई अति. अपीलान्त एवं अपीलान्त को रूठ रूठ कर तीन बार आपाजे लगावाकी गयी, फिर भी उत्ती ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में रेस्यो कु. १ लख १२ की तलवी नोतिध सम्मत जरिद्वे शजिठ एवं ती आदिगांड लठ नरी करवाकी अभी। अतः पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम फेरकी में खासिक ही जाती है। पत्रावली उपलव शुमार होकर बाद तामील तामील दायिल र फलर ही।</p> <p style="text-align: center;">  (ममता कुमारी सिवारी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा </p>	

श्री विरेश्वर प्रसाद
28.02.22 के
पत्र पर, 12/02/22
तम देवदेव ली

28.02.22

19.4.22

न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील
प्राधिकारी कोटा, कैम्प बारां

19.4.22

कालू पुत्र श्री लक्ष्मण आयु 45 वर्ष जाति सहरिया निवासी ग्राम गणेशपुरा तहसील
किशनगंज जिला बारां (राज0)

- अपीलकर्ता

बनाम

01. सावित्री बाई पत्नि लखनलाल जाति सहरिया
02. रामनाथी पत्नि श्री लक्ष्मण जाति सहरिया
03. शिवा पुत्र श्री हरपाल जाति सहरिया
04. जानकी बाई पत्नि श्री हरपाल जाति सहरिया
05. सारी बाई पुत्री श्री हरपाल जाति सहरिया
06. सीता बाई पुत्री श्री हरपाल जाति सहरिया
07. नैना पुत्री श्री हरपाल जाति सहरिया
08. लक्ष्मी पुत्री श्री हरपाल जाति सहरिया
09. पिंकी पुत्री श्री हरपाल जाति सहरिया
10. अकाल पुत्र श्री हरपाल जाति सहरिया
11. बतूल पुत्री श्री घीस्या जाति सहरिया
12. निवासीगण ग्राम गणेशपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार किशनगंज जिला बारां (राज0)

- टेम्पोडेन्टज

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी. एक्ट विरुद्ध निर्णय व डिक्री
दिनांक 07.01.2021 वाद संख्या 164/2019 बउनवान मुकदमा
सावित्री बाई बनाम राजस्थान सरकार दावा अंतर्गत धारा 88,
89, 90 आर.टी. एक्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज

महोदय,

अपीलान्त की ओर से निम्न आधारों पर यह अपील प्रस्तुत है :-

28.02.22